अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा,

उनवान .... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... मि.न. .... स

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
16/11/22	पत्रावली पेश हुई। बहस पक्षकारान उभय। निर्णय सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद अमल में लाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा इटावा जिला कोटा राज0

तारीख दायरा
14 / 06 / 2019

तारीख फैसला
16/11/22

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

उनवान

1. बिरधीलाल उम्र 53 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी डोली, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. ... बेवा रामनारायण जाति मीणा निवासी डोली, तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसलीदार पीपल्दा तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– प्रतिवादी

वाद अ0धा0 88,89 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगणों के संयुक्त खाते एवम् कब्जेकाश्त की कृषि आराजी खसरा नं0–30 रकबा 0.20है0, खसरा नं0 297 रकबा 2.98है0, खसरा नं0 298 रकबा 0.40है0, खसरा नं0 ... रकबा 0.49है0, खसरा नं0 568 रकबा 0.18है0, खसरा नं0 592 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 593 रकबा 0.15है0, खसरा नं0 658 रकबा 0.13है0, खसरा नं0 659 रकबा 0.27है0, खसरा नं0 660 रकबा 0.05है0, खसरा नं0 670 रकबा 0.34है0 कुल किता 15 रकबा 6.42है0 बाके माल डोली तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित जिसे आगे की मदो में सुविधा के लिए विवादित कृषि आराजी कहा गया है। वादी कम–1 के पिता व वादी कम–2 के पति रामनारायण का स्वर्गवास एक लम्बे समय पूर्व हो गया तथा रामनारायण के एक मात्र वारीस व उत्तराधिकार वादीगण के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। विवादित कृषि आराजी पर मृतक रामनारायण की मृत्यु के बाद वादी कम–1 का नाम गलत तरीके से गोबरीलाल दर्ज कर दिया गया है, जबकि रामनारायण के एक मात्र पुत्र वादी कम–1 बिरधीलाल ही है।

यह कि उक्त विवादित कृषि आराजी पर वादी कम–1 के पिता स्व0 रामनारायण की मृत्यु के बाद खुले इंतिकाल को राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदारा पूर्ण तरीके से कार्य करते हुये बिना वादी कम–1 का वास्तविक नाम जाने मात्र गाव के व्यक्तियों के कहे अनुसार मृतक रामनारायण के स्थान पर वादी कम–1 का नाम गोबरीलाल दर्ज कर दिया है, जो कतई गलत व गैरकानूनी है, क्योकि मृतक रामनारायण के पुत्र का नाम गोबरीलाल न होकर बिरधीलाल है तथा वादी अपने सही नाम की घोषणा करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का अधिकारी है तथा घोषणा की डिकी माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी हैं। वादी कम–1 के समस्त वैध दस्तावेजों मसलन आधारकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक, भामाशा कार्ड पर वादी का वास्तविक नाम यानी बिरधीलाल पुत्र रामनारायण अंकित है जो उक्त तथ्य की पुष्टि करता है कि बिरधीलाल जी रामनारायण का है, जबकि उक्त विवादित कृषि आराजी पर त्रुटीपूर्ण तरीके से गोबरीलाल दर्ज हो गया है। वादी इसे सही करवाते हुये अपने सही व वास्तविक नाम बिरधीलाल की घोषणा करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि न्यायहित में डिक्री बहक वादी कम–1 मिलान जात एवम् जायदाद प्रतिवादी इस तौर पर सादिर फरमाई जावे कि वाद पत्र की मद नं0–1 में वर्णित कृषि आराजी वाके डोली में वादी के नाम से दुरूस्त करते हुए बिरधीलाल पुत्र रामनारायण घोषित किया जावे तदनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गोबरीलाल की जगह बिरधीलाल अमल दरामद किया जावे विकल्प में वादी के नाम को बिरधीलाल उर्फ गोबरीलाल पुत्र रामनारायण घोषित किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये समन्न की गई। प्रतिवादी को जारी नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। वकील वादी द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट संलग्न है। इसी आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का गणेशगंज द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम डोली के खाता सं0 पुराना 38 व नया 40 में गोबरीलाल पुत्र रामनारायण हि. 1/2 जाति मीणा खातेदार दर्ज है व जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता सं0 पुराना 38 नया 40 में भी गोबरीलाल पुत्र रामनारायण दर्ज है, जो गलत है। अतः प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड, रिपोर्ट ग्राम पंचायत गणेशगंज शपथ पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंकपास बुक एसबीआई इटावा, जांच मजमेंआम के अनुसार सही नाम बिरधीलाल पुत्र रामनारायण मीणा है। प्रार्थी का नाम खाता सं0 40 ग्राम डोली में दुरस्त किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड जमाबंदी 2072–75 ग्राम डोली तहसील पीपल्दा प्रार्थी का आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंकपास बुक, भामाशाह कार्ड, पटवारी रिपोर्ट, ग्राम पंचायत गणेशगंज की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम डोली तहसील पीपल्दा की जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता सं0 पुराना 38 नया 40 में प्रार्थी का नाम गोबरीलाल पुत्र रामनारायण के स्थान पर बिरधीलाल पुत्र रामनारायण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजी पर यदि रहनभार अंकित है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16/11/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी इटावा